

पर्चा डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)
पीठासीन अधिकारी श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस

प्रकरण सं० 38/18

अनवान :

राजेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी सरदारपुराबास भौला तहसील भादरा।

-वादी

बनाम

1. मंगलाराम पुत्र मोहदुराम जाति जाट निवासी सरदारपुराबास भौला तहसील भादरा।
2. शान्ती पुत्री मंगलाराम पत्नी जयसिंह जाति जाट निवासी कुतना तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)।
3. कैलापती पुत्री मंगलाराम पत्नी लखमीचन्द जाति जाट निवासी कुतना तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)।
4. विनोद कुमारी पुत्री मंगलाराम पत्नी जयपाल जाति जाट हाल निवासी राजपुरा सनी तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)।
5. बिमला देवी पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी सरदारपुराबास भौला तहसील भादरा।
6. सुमित्रा पुत्री ओमप्रकाश पत्नी बंशीराम जाति जाट हाल निवासी राजपुरा सनी तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)।

-प्रतिवादीगण

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

-तरतीबी प्रतिवादी

दावा बाबत इस्तकरार हक व घोषणात्मक

आज यह वाद मुझ श्री राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकीलवादी श्री अमित देहडू की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वादवादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है व घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 9 JSL के खाता सं० 189/193 मु०न० 8 किला न० 21, 22/2, मु०न० 9 किला न० 16, 24/2, 25, मु०न० 85 किला न० 6, 15, 17, मु०न० 86 किला न० 1, 2/1, 9/2, 10, कुल 2.416 है० बाराणी में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलजन कर वादी राजेश का 4/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा के खातेदारी काश्तकार दर्ज रिकार्ड की जावे। प्रतिवादी सं. 2 ता 6 ने वाद भूमि में अपना हक त्याग कर दिया है अतः हक त्याग किए गए हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी वसूल कर तथा यदि भूमि बैंक के रहन हो तो रहन फक के पश्चात् इसी अनुसार रिकार्ड दरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना-अपना रहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25 जून 2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(राजकुमार कस्वा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा, जिला हनुमानगढ़